



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

43-2016/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 21, 2016 (CHAITRA 1, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### Notification

The 21st March, 2016

**No. 14-HLA of 2016/17.**— The Haryana Enterprises Promotion Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

**Bill No. 14- HLA of 2016**

### THE HARYANA ENTERPRISES PROMOTION

**BILL, 2016**

**A**

**BILL**

*to provide for simplification of regulatory framework and to assist the promoters in speedy implementation of industrial and other projects in the State of Haryana by providing single point time bound clearances required for setting up of enterprise under one roof and reducing the procedural requirements, rationalizing the documents and to ensure ease of doing business for the promotion of industrial development and facilitation of new investments and to provide for an investor friendly environment in the State of Haryana.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016.
- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 14th August, 2015.

Short title and commencement.

2. In this Act, unless the context otherwise requires, -

Definitions.

- (a) “any State law” means any law made or adopted by the State Legislature;
- (b) “authority” means any Department of the State Government or a local authority or any statutory Board, Corporation or any other authority established by the State Government and entrusted with the powers and responsibility for grant or issue of clearances in connection with the setting up of an enterprise in the State;

- (c) "clearances" means grant or issue of no objection certificate, allotment, consent, approval, permission, registration, enrolment, licence by any authority in connection with the setting up of enterprise in the State or expansion of existing enterprise;
- (d) "deemed clearance" means a clearance deemed to have been given on the expiry of a period specified under the rules prescribed under this Act or any State law;
- (e) "District Level Clearance Committee" means a Committee constituted under section 8;
- (f) "District Industries Centre" means the office of Joint Director or Deputy Director, Industries and Commerce Department, Haryana at district level;
- (g) "entrepreneur" means an entity who decides to set up an enterprise and includes (i) an individual; (ii) a Hindu undivided family; (iii) a company; (iv) a registered firm; (v) a Limited Liability Partnership as per the Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act 6 of 2009); (vi) an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, in India or outside India; (vii) any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government Company as defined under clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 ( Central Act 18 of 2013); (viii) any body corporate incorporated by or under the laws of a country outside India; or (ix) a co-operative society registered under any law relating to co-operative society;
- (h) "Empowered Executive Committee" means the Committee constituted under section 4;
- (i) "enterprise" means an undertaking engaged in manufacturing, processing or both or providing service including software development;
- (j) "Haryana Enterprises Promotion Board" means the Board constituted under section 3;
- (k) "Haryana Enterprises Promotion Centre" means the Centre constituted under section 5 ;
- (l) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (m) "State" means the State of Haryana;
- (n) "State Government" means the Government of the State of Haryana.

Haryana  
Enterprise  
Promotion  
Board.

**3.** (1) The State Government shall, by notification constitute the Haryana Enterprises Promotion Board under the Chairmanship of the Chief Minister and such other members, as may be prescribed.

(2) The Haryana Enterprises Promotion Board shall consist of a two tier system viz. the Empowered Executive Committee at State Level and the District Level Clearance Committee at district level for grant of project clearances.

(3) The Haryana Enterprises Promotion Board shall be the Apex body for all matters relating to the enterprise development and shall perform the following functions, namely:-

- (i) to frame the regulations and procedures for conduct of its business and allocating functions to the Empowered Executive Committee;
- (ii) to create, sanction, abolish and re-designate the posts in the Haryana Enterprises Promotion Centre and the District Industries Centres;
- (iii) to monitor, supervise and review the functioning of the Empowered Executive Committee and the District Level Clearance Committees;
- (iv) to approve any incentives, relaxations, exemptions or grant clearances on the recommendations of the Empowered Executive Committee in mega projects and ultra mega projects beyond the package of fiscal incentives under the Enterprises Promotion Policy, 2015;
- (v) to grant clearance on the recommendations of the Empowered Executive Committee and the District Level Clearance Committee, where the powers of approval are vested with the State Government;
- (vi) to approve the annual budget, accounts and reports including audit reports of the Haryana Enterprises Promotion Centre; and
- (vii) to adopt such procedure for transaction of its business, as may be prescribed.

4. (1) The State Government shall, by notification, constitute the Empowered Executive Committee for considering the projects with such investment and for grant of Change of Land Use permission for such area, as may be prescribed, under the Chairmanship of Principal Secretary to the Chief Minister and such other members, as may be prescribed. The Empowered Executive Committee shall exercise powers of authority as devolved upon it under respective Acts, rules or regulations, if any, regarding grant of clearances and incentives in time bound manner upto the stage/ date of commencement of production/ operations of project. In case any authority is unable to devolve its power to the Empowered Executive Committee, it shall delegate such powers to its officer deputed in the Empowered Executive Committee.

Empowered  
Executive  
Committee.

(2) The Administrative Secretary of Industries and Commerce Department shall be the Chief Executive Officer and shall perform such functions, as may be prescribed. The Managing Director, Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited shall be the Additional Chief Executive Officer and the Director General or Director, Industries and Commerce Department shall be the Deputy Chief Executive Officer. The office of the Empowered Executive Committee shall be located in the Directorate of Industries and Commerce, Haryana, Chandigarh. The staff of the Directorate of Industries and Commerce, Haryana, shall be suitably fortified with the deputationists from various departments to serve the Empowered Executive Committee.

(3) The Empowered Executive Committee shall work under the overall supervision and guidance of the Haryana Enterprise Promotion Board and shall perform the following functions:-

- (i) to adopt such procedure for transaction of its business, as may be prescribed;
- (ii) to process online composite application forms for grant of clearances for setting up of new projects or expansion of existing units with such proposed investments, as may be prescribed;
- (iii) to inform the entrepreneur the date on which such application may be deemed to have been approved in the case of deemed clearances;
- (iv) to review and monitor the processing of applications received by the Haryana Enterprises Promotion Centre;
- (v) to grant approvals for establishment of industrial parks in private sector;
- (vi) to act as single point agency for resolution of issues pertaining to multiple departments and settling the inter-departmental disputes of the existing industrial units;
- (vii) to carry out such other functions, as may be assigned to it by the Haryana Enterprises Promotion Board or the State Government;
- (viii) to refer any matter to Haryana Enterprises Promotion Board with its recommendations or suggestions.

(4) The Empowered Executive Committee shall be the final authority for granting clearances. The clearances given by the Committee shall be binding on the authority concerned.

(5) The Empowered Executive Committee may appoint from time to time, any sub- committee under the Chairmanship of Administrative Secretary to Government, Haryana, Industries and Commerce Department and experts from Industries or related fields as it considers necessary, to assist it in carrying out its functions and to facilitate investment in the State.

Haryana  
Enterprises  
Promotion Centre.

**5.** (1) The State Government shall constitute the Haryana Enterprises Promotion Centre with Administrative Secretary to Government, Haryana, Industries and Commerce Department as the Chief Executive Officer and consisting of such other members, as may be prescribed.

(2) The Haryana Enterprises Promotion Centre shall provide secretarial service to the Haryana Enterprises Promotion Board and the Empowered Executive Committee and shall have complete data base on availability of land, water, power, finance etc. and the Acts, rules, regulations and bye-laws of all the institutions engaged in industrial development. The Haryana Enterprises Promotion Centre shall showcase the State as an ultimate destination for investment and it shall perform the following functions, namely:-

- (i) to act as a single point contact agency under one roof to provide information and hand-holding services for venture location to prospective entrepreneurs particularly with regard to various clearances needed for implementation of the projects, availability of land and present level of infrastructure in the State and to assist entrepreneurs in submission of applications for approvals/ registration to different organizations;
- (ii) to receive applications for the allotment of industrial plot to Non-Resident Indians and foreign investors under reserved quota of Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited and Haryana Urban Development Authority for processing;
- (iii) to keep close liaison with offices of Ministry of Commerce and Industry, Ministry of External Affairs, Ministry of Food Processing etc. to capture the projects at the initial stage especially with regard to foreign direct investment;
- (iv) to perform any other function, as may be prescribed.

Bureau of  
Industrial Policy  
and Promotion.

**6.** (1) The Investment Promotion Centre constituted under the Haryana Industrial Promotion Act, 2005 (6 of 2006), shall be renamed as the Bureau of Industrial Policy and Promotion and shall function under the guidance of the Administrative Secretary to Government, Haryana, Industries and Commerce Department. The Director or Director General, Industries and Commerce Department shall be the Chief Executive Officer and shall have its offices at Delhi and Chandigarh.

(2) The objective of Bureau of Industrial Policy and Promotion shall be to policy outreach, continuous engagement with the industry in an ongoing basis, tracking investment proposals, investment promotion, resolving issues relating to Non-Resident Indian and foreign direct investment, hand-holding investors and converting investment queries into investment commitments.

(3) The officers not below the rank of Divisional Town Planner, Assistant General Manager, Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited, Environment Engineer, Assistant Director Industrial Safety and Deputy General Manager, Uttar Haryana Bijli Vitaran Nigam, Deputy General Manager, Dakshin Haryana Bijli Vitaran Nigam, Joint Director, Industries, consultants, professionals from the consultancy firms or such other officers as recommended by the Chief Executive Officer with the approval of State Government shall be part of the Bureau of Industrial Policy and Promotion.

Foreign  
Investment  
Promotion Board  
and Non  
Resident Indian  
Investment Cell.

**7.** The State Government shall, by notification, constitute Foreign Investment Promotion Board and Non-Resident Indians Investment Cell for catalyzing foreign direct investments and non-residents investments in the State.

- 8.** (1) The State Government shall, by notification, constitute District Level Clearance Committee under the Chairmanship of the Deputy Commissioner having such members, as may be prescribed. The authority shall delegate its power to the members of the District Level Clearance Committee for grant of clearances under its respective Acts, rules or regulations, if any, for approval of projects with such investment or for grant of Change of Land Use permission for such area, as may be prescribed. District Level Clearance Committee.
- (2) The District Level Clearance Committee shall perform the following functions, namely:—
- (i) to adopt such procedure for transaction of its business, as may be prescribed;
  - (ii) to process online composite application forms for grant of clearances for setting up industrial units with proposed investment;
  - (iii) to review and monitor the processing of applications by the District Industries Centres;
  - (iv) to inform the entrepreneur the date on which such application may be deemed to have been approved in the case of deemed clearances; and
  - (v) such other functions, as may be prescribed.
- (3) The District Level Clearance Committee shall be the final authority to grant clearances. The clearances given by the District Level Clearance Committee shall be binding on the authority.
- (4) The District Level Clearance Committee shall examine the order passed by any authority, rejecting any clearance or approving it with modification and if the District Level Clearance Committee considers that there are valid grounds for a change in such decision, it shall take a decision after recording the reasons, which shall be binding on the authority.
- 9.** There shall be an online composite application form for the use of entrepreneurs on the web portal of the Industries and Commerce Department for receiving online composite applications forms. On receiving an application, the Haryana Enterprises Promotion Centre or the District Industries Centre shall collate, process, secure clearances from the authorities in such manner, as may be prescribed. All the processing and clearances shall be given in respect of authority through the web portal. Online Composite Application Form.
- 10.** Every entrepreneur shall furnish an undertaking in such form, as may be prescribed at the time of submitting the duly completed online composite application form that he shall comply with the provisions of this Act and the rules made thereunder, and in case of non compliance of any provisions of the Act or rules made thereunder, the entrepreneur shall be liable to penalties as provided under section 15. Undertaking.
- 11.** (1) The Haryana Enterprises Promotion Centre and the District Industries Centre shall issue clearances within such time limit, as may be prescribed after obtaining approval of the Haryana Enterprises Promotion Board, Empowered Executive Committee or District Level Clearance Committee, as the case may be, failing which such clearances shall be deemed to have been issued. Deemed clearances.
- (2) The entrepreneur may proceed to execute the work or take other action following the deemed clearance, but not so as to contravene any of the provisions of this Act or rules made thereunder.
- 12.** The Industries and Commerce Department may notify industrial services relating to industrial promotion in the State under the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014). Notified services.
- 13.** The State Government shall create a grievance redressal mechanism for resolving the grievances of the entrepreneurs. Grievance Redressal Mechanism.
- 14.** (1) Any person aggrieved by the decision of the Empowered Executive Committee may within a period of thirty days from the date of receipt of communication of the decision of the Committee, appeal to the Haryana Enterprises Promotion Board in such manner, as may be prescribed. Appellate authority.
- (2) Any person aggrieved by the decision of the District Level Clearance Committee may within a period of thirty days from the date of receipt of communication of the decision of the Committee appeal to the Empowered Executive Committee in such manner, as may be prescribed.
- (3) The appellate authority shall after following such procedure, as may be prescribed, dispose of the appeal within the period of one month from the date of its receipt.

- Penalties. **15.** Any entrepreneur who fails to comply with the conditions of undertaking, for the first instance of non-compliance shall be liable to pay fine which shall be fifty thousand rupees and for subsequent non-compliance, shall be liable to pay fine which may extend to one lakh rupees.
- Act to over-ride other laws. **16.** The provisions of this Act and the rules made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State Law.
- Power to make rules. **17.** (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.  
(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature while it is in session.
- Protection of action taken in good faith. **18.** No suit or legal proceedings shall lie against the Chairman of the Haryana Enterprises Promotion Board, the Empowered Executive Committee, the District Level Clearance Committee or other members of the Board or Committees or any officer or employee of such Board or Committees in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.
- Power to remove difficulties. **19.** If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove such difficulty.
- Repeal and savings. **20.** (1) The Haryana Industrial Promotion Act, 2005 (6 of 2006), is hereby repealed.  
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Act so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Haryana Enterprises Promotion Bill, 2016 will provide for simplification of regulatory framework in order to facilitate the establishment of enterprises for fast track implementation of projects in the State of Haryana by providing single point, time bound clearances required for setting up of enterprises under one roof by providing online platform. This will ensure ease of doing business for the promotion of industrial development and facilitation of new investments and to provide for an investor friendly environment in the State of Haryana.

Since, the entrepreneurs setting up their ventures in the State accord importance to Ease of Doing Business and Cost of Doing Business, this Bill shall enhance the competitiveness of the existing enterprises envisaging expansion facilitate, new investment and create conducive environment for obtaining clearances in a time bound manner. Further, incentives shall also be given to the enterprises under the Enterprises Promotion Policy, 2015 and under this Act for creating cost effective environment for doing business in the State of Haryana.

Hence the Bill.

CAPTAIN ABHIMANYU,  
Industries & Commerce Minister,  
Haryana.

Chandigarh:  
The 21st March, 2016.

R. K. NANDAL,  
Secretary.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Section 17 of the proposed bill empowers State Government to frame for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.



[प्राधिकृत अनुवाद ]

2016 का विधेयक संख्या 14-एच०एल०ए०

## हरियाणा उद्यम प्रोन्नति विधेयक, 2016

एक छत के नीचे उद्यम की स्थापना के लिए अपेक्षित एकल बिन्दु समयबद्ध समाशोधन उपबन्धित करते हुए हरियाणा राज्य में औद्योगिक तथा अन्य परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में विनियामक ढांचे के सरलीकरण तथा प्रोत्साहकों की सहायता तथा प्रक्रिया अपेक्षाओं को कम करने, दस्तावेजों के सुव्यवस्थीकरण करने के लिए उपबन्ध करने हेतु तथा औद्योगिक विकास की प्रोन्नति के लिए कारबार करने की सुगमता तथा नये निवेशों के सुकर को सुनिश्चित करने के लिए तथा हरियाणा राज्य में निवेशक के लिए अनुकूल वातावरण उपबन्ध करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम  
(2) यह 14 अगस्त, 2015 से लागू हुआ समझा जाएगा। तथा प्रारम्भ।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
  - (क) "कोई राज्य विधि" से अभिप्राय है, राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई या अपनाई गई कोई विधि ;
  - (ख) "प्राधिकरण" से अभिप्राय है, राज्य सरकार का कोई विभाग या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई वैधानिक बोर्ड, निगम या कोई अन्य प्राधिकरण तथा जिसे राज्य में उद्यम स्थापित करने के संबंध में समाशोधन प्रदान या जारी करने के लिए शक्तियां तथा उत्तरदायित्व सौंपा गया हो;
  - (ग) "समाशोधन" से अभिप्राय है, राज्य में उद्यम स्थापित करने या वर्तमान उद्यम के विस्तार के संबंध में किसी प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण—पत्र, आबंटन, स्वीकृति, अनुमोदन, अनुज्ञा, पंजीकरण, पंजीयन, अनुज्ञप्ति प्रदान करना या जारी करना;
  - (घ) "समझा गया समाशोधन" से अभिप्राय है, इस अधिनियम या किसी राज्य विधि के अधीन विहित नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर दिया गया समझा गया समाशोधन;
  - (ङ) "जिला स्तरीय समाशोधन समिति" से अभिप्राय है, धारा 8 के अधीन गठित समिति;
  - (च) "जिला औद्योगिक केन्द्र" से अभिप्राय है, जिला स्तर पर संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, हरियाणा का कार्यालय;
  - (छ) "उद्यमी" से अभिप्राय है, कोई संस्था जो उद्यम स्थापित करने का निर्णय लेती है तथा इसमें शामिल हैं (i) वैयक्तिक; (ii) कोई अविभाजित हिन्दू परिवार; (iii) कोई कम्पनी; (iv) कोई पंजीकृत फर्म; (v) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के अनुसार कोई सीमित दायित्व भागीदारी; (vi) व्यक्तियों का संगम या कोई व्यक्ति निष्काम, चाहे भारत में या भारत के बाहर, निगमित हो या नहीं; (vii) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित कोई निगम या कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18), की धारा 2 के खण्ड (45) के अधीन यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी; (viii) भारत के बाहर किसी देश की विधियों द्वारा या के अधीन निगमित कोई निगम निकाय; या (ix) सहकारी सोसाइटी से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन पंजीकृत कोई सहकारी सोसाइटी;

- (ज) "सशक्त कार्यकारी समिति" से अभिप्राय है, धारा 4 के अधीन गठित समिति;
- (झ) "उद्यम" से अभिप्राय है, विनिर्माण, प्रसंस्करण या दोनों या साफटवेयर विकास सहित कोई सेवा उपलब्ध करवाने में लगा हुआ कोई उपक्रम;
- (ञ) "हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित बोर्ड;
- (ट) "हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र" से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन गठित केन्द्र;
- (ठ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (ड) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;
- (ढ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार।

हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड।

3. (1) राज्य सरकार, मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता तथा अन्य सदस्य, जो विहित किए जाएं, के अधीन अधिसूचना द्वारा हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड का गठन करेगी।

(2) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड दो चरण प्रणाली अर्थात् परियोजना समाशोधन प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर सशक्त कार्यकारी समिति और जिला स्तर पर जिला स्तरीय समाशोधन समिति से मिलकर बनेगा।

(3) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड उद्यम विकास से सम्बन्धित सभी मामलों के लिए अपैक्स निकाय होगा तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

- (i) अपना कारबार करने के लिए विनियम तथा प्रक्रिया बनाना तथा सशक्त कार्यकारी समिति को कृत्य आबंटित करना;
- (ii) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र तथा जिला उद्योग केन्द्रों में पद सृजन करने, समाप्त करने तथा पुनः पदाभिहित करने;
- (iii) सशक्त कार्यकारी समिति तथा जिला स्तरीय समाशोधन समितियों के कृत्यों को मानीटर, पर्यवेक्षण करना तथा पुनरीक्षण करना;
- (iv) उद्यम प्रोन्नति नीति, 2015 के अधीन वित्तीय प्रोत्साहनों के पैकेज से बाहर बड़ी परियोजनाओं तथा अत्यधिक बड़ी परियोजनाओं में सशक्त कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर कोई प्रोत्साहन देने, रियायत देने, छूट देने का अनुमोदन करना या समाशोधन प्रदान करना ;
- (v) सशक्त कार्यकारी समिति तथा जिला स्तरीय समाशोधन समिति की सिफारिशों पर समाशोधन प्रदान करना, जहां अनुमोदन की शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं ;
- (vi) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों सहित वार्षिक बजट, लेखों तथा रिपोर्टों का अनुमोदन करना ; तथा
- (vii) इसके कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसी प्रक्रिया, जो विहित की जाए, अपनाना।

सशक्त कार्यकारी समिति।

4. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मुख्य मन्त्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता तथा ऐसे अन्य सदस्य, जो विहित किए जाएं, के अधीन, ऐसे निवेश सहित परियोजनाओं पर विचार करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्र, जो विहित किए जाएं, के लिए भूमि के उपयोग में परिवर्तन की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सशक्त कार्यकारी समिति का गठन करेगी। सशक्त कार्यकारी समिति सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों या विनियमों, यदि कोई हो, परियोजना के उत्पादन/ संचालन के प्रारम्भ के चरण/ तिथि तक समयबद्ध रीति में समाशोधन तथा प्रोत्साहनों को प्रदान करने संबंधी, के अधीन इसको यथा सौंपी गई प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करेगी। यदि कोई प्राधिकरण सशक्त कार्यकारी समिति को अपनी शक्तियों को सौंपने में असमर्थ है, तो यह सशक्त कार्यकारी समिति में प्रतिनियुक्त इसके अधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा।

(2) प्रशासकीय सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा ऐसे कृत्य, जो विहित किए जाएं, का पालन करेगा। प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा महानिदेशक या निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। सशक्त कार्यकारी समिति का कार्यालय निदेशालय, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा, चण्डीगढ़ में स्थित होगा। निदेशालय, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा का अमला, सशक्त कार्यकारी समिति का कार्य करने के लिए विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्त से उपयुक्त रूप से सुदृढ़ होगा।

(3) सशक्त कार्यकारी समिति हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड का पूर्ण रूप से पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेगी तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी :-

- (i) अपने कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसी प्रक्रिया, जो विहित की जाए, अपनाना;
- (ii) ऐसे प्रस्तावित निवेश, जो विहित किए जाएं, सहित नई परियोजनाओं को स्थापित करने तथा वर्तमान इकाइयों के विस्तार के लिए समाशोधनों को प्रदान करने के लिए ऑनलाइन कम्पोजिट आवेदन प्रारूपों की प्रक्रिया ;
- (iii) उद्यमी को तिथि, जिसको ऐसा आवेदन समझे गए समाशोधनों की दशा में अनुमोदित किए गए समझे जा सकते हैं, सूचित करना;
- (iv) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों की प्रक्रिया का पुनरीक्षण तथा मॉनीटर करना ;
- (v) निजी सेक्टर में औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करना;
- (vi) बहु विभागों से सम्बन्धित विषयों के संकल्प के लिए एकल बिन्दु अभिकरण के रूप में कार्य करना तथा वर्तमान औद्योगिक इकाइयों के अन्तर विभागीय विवादों का निपटान करना ;
- (vii) ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जो इसे हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं ;
- (viii) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड को इसकी सिफारिशों तथा सुझावों सहित कोई मामला निर्दिष्ट करना ।

(4) सशक्त कार्यकारी समिति समाशोधनों को प्रदान करने के लिए निर्णायक प्राधिकरण होगा। समिति द्वारा दिए गए समाशोधन सम्बद्ध प्राधिकरण पर बाध्यकारी होगा।

(5) सशक्त कार्यकारी समिति, प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता के अधीन किसी उप समिति तथा इसके कृत्यों को कार्यान्वित करने में सहयोग करने के लिए तथा राज्य में निवेश को सुकर बनाने के लिए, समय-समय पर, उद्योगों या सम्बन्धित क्षेत्रों से विशेषज्ञों को, जैसा यह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकती है।

5. (1) राज्य सरकार, प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में तथा ऐसे अन्य सदस्यों, जो विहित किए जाएं, को शामिल करते हुए हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र का गठन कर सकती है।

हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र।

(2) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड तथा सशक्त कार्यकारी समिति को सचिवालय सेवा उपलब्ध करवाएगा तथा औद्योगिक विकास में नियोजित सभी संस्थाओं की भूमि, जल, विद्युत, वित्त इत्यादि तथा अधिनियमों, नियमों, विनियमों तथा उप-विधियों की उपलब्धता का सम्पूर्ण डाटा बेस रखेगा। हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र निवेश के लिए अन्तिम लक्ष्य के रूप में राज्य प्रदर्शन-मंजूषा करेगा तथा यह निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

- (i) राज्य में परियोजनाओं के लागूकरण के लिए आवश्यक विभिन्न समाशोधनों के संबंध में विशिष्ट रूप से भावी उद्यमियों को जोखिम अवस्थिति के लिए भूमि की उपलब्धता तथा अवसंरचना का वर्तमान स्तर हेतु तथा विभिन्न संगठनों के अनुमोदनों/ पंजीकरण के लिए आवेदनों की प्रस्तुतीकरण में उद्यमियों को सहयोग देने के लिए तथा मार्गरक्षी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक छत के नीचे एकल बिन्दु सम्पर्क अभिकरण के रूप में कार्य करना ;
- (ii) संसाधन हेतु हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड तथा हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के आरक्षित कोटा के अधीन अनिवासी भारतीयों तथा विदेशी निवेशकों को औद्योगिक प्लाट के आबंटन के लिए आवेदनों को प्राप्त करना;
- (iii) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में विशिष्ट रूप से प्रारम्भिक स्तर पर परियोजनाओं के परिग्रहण करने के लिए वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, खाद्य संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों से घनिष्ठतम सम्पर्क बनाए रखना;
- (iv) कोई अन्य कृत्य, जो विहित किया जाए, का पालन करना ।

6. (1) हरियाणा औद्योगिक प्रोन्नति अधिनियम, 2005 (2006 का 6) के अधीन गठित निवेश प्रोन्नति केन्द्र, औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नति ब्यूरो के रूप में पुनः नामित किया जाएगा तथा प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग के मार्गदर्शन के अधीन कृत्य करेगा। निदेशक या महानिदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा इसका कार्यालय दिल्ली तथा चण्डीगढ़ में होगा ।

औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नति ब्यूरो ।

(2) औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नति ब्यूरो का उद्देश्य नीति को बढ़ावा देना, उपगामी आधार पर उद्योग से निरन्तर सम्बन्ध बनाए रखना, ट्रेडिंग निवेश प्रस्तावों को बनाना, अनिवासी भारतीय तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से सम्बन्धित विषयों का निराकरण करना, निवेशकों के प्रति मार्गदर्शी होना तथा निवेश शंकाओं को निवेश वचनबद्धता में परिवर्तित करना ।

(3) मण्डल योजनाकार, सहायक महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, पर्यावरण अभियन्ता, सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा तथा उप महाप्रबन्धक, उत्तर बिजली वितरण निगम, उप महाप्रबन्धक, दक्षिण हरियाणा बिजली निगम, संयुक्त निदेशक उद्योग की पदवी से नीचे के न हों, परामर्श कार्य फर्मों से परामर्शदाताओं, व्यावसायिकों या राज्य सरकार के अनुमोदन से मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथा अनुशंसित ऐसे अन्य अधिकारी, औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नति ब्यूरो का हिस्सा होंगे ।

विदेशी निवेश प्रोन्नति बोर्ड और अनिवासी भारतीय निवेश सैल ।

7. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और अनिवासी निवेशों को उत्तप्रेरित करने के लिए विदेशी निवेश प्रोन्नति बोर्ड और अनिवासी भारतीय निवेश सैल गठित करेगी ।

जिला स्तरीय समाशोधन समिति ।

8. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपायुक्त की अध्यक्षता के अधीन ऐसे सदस्य, जो विहित किये जाएं, रखने वाली जिला स्तरीय समाशोधन समिति का गठन करेगी। प्राधिकारी ऐसे निवेश के साथ परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए इससे सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों या विनियमों, यदि कोई हो, के अधीन समाशोधनों को प्रदान करने के लिए या ऐसे क्षेत्र जो विहित किए जाएं, के लिए भूमि उपयोग अनुमति के परिवर्तन को प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय समाशोधन समिति के सदस्यों को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा ।

(2) जिला स्तरीय समाशोधन समिति निम्नलिखित कृत्य करेगी, अर्थात्:—

- (i) अपने कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसी प्रक्रिया, जो विहित की जाए, अपनाए ;
- (ii) प्रस्तावित निवेश सहित औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए समाशोधनों को प्रदान करने हेतु ऑनलाइन कम्पोजिट आवेदन प्रारूपों की प्रकिया;
- (iii) जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा आवेदनों के प्रसंस्करण का पुनरीक्षण तथा मॉनीटर करना;
- (iv) समझे गये समाशोधनों की दशा में उद्यमी को, तिथि जिसको ऐसा आवेदन अनुमोदित किया गया समझा जा सकता है, सूचित करना; तथा
- (v) ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं ।

(3) जिला स्तरीय समाशोधन समिति, समाशोधन प्रदान करने के लिए निर्णायक प्राधिकरण होगा । जिला स्तरीय समाशोधन समिति द्वारा दिए गये समाशोधन प्राधिकरण पर आबद्धकर होंगे ।

(4) जिला स्तरीय समाशोधन समिति, प्राधिकरण द्वारा, किसी समाशोधन को अस्वीकृत करने या रूपांतरण सहित इसका अनुमोदन करने बारे पारित आदेश की जांच करेगी तथा यदि जिला स्तरीय समाशोधन समिति विचार करती है कि ऐसी निर्णय में परिवर्तन के लिए वैध आधार है, तो वह कारणों को अभिलिखित करने के बाद निर्णय लेगी जो प्राधिकरण पर आबद्धकर होगा ।

ऑनलाइन कम्पोजिट आवेदन प्रारूप ।

9. ऑनलाइन कम्पोजिट आवेदन प्रारूप प्राप्त करने के लिए उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की वैब पोर्टल पर उद्यमियों के प्रयोग के लिए ऑनलाइन कम्पोजिट आवेदन प्रारूप होगा। आवेदन की प्राप्ति पर, हरियाणा उद्यमी प्रोन्नत केन्द्र या जिला उद्योग केन्द्र प्राधिकरणों से ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में समाशोधनों को एकत्रित करेगा, आगामी कार्यवाही करेगा तथा सुनिश्चित करेगा । सभी प्रक्रियाएं तथा समाशोधन प्राधिकरण के संबंध में वैब पोर्टल के माध्यम से दिए जाएंगे ।

वचनबद्धता ।

10. प्रत्येक उद्यमी सम्यक् रूप से पूर्ण ऑनलाइन कम्पोजिट आवेदन प्रारूप प्रस्तुत करते समय ऐसे प्रारूप, जो विहित किये जाएं में वचनबद्धता देगा कि वह इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों की अनुपालना करेगा, तथा अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों की अननुपालना की दशा में, उद्यमी धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित शास्तियों के लिए दायी होगा ।

समझे गए समाशोधन ।

11. (1) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र तथा जिला उद्योग केन्द्र हरियाणा उद्यमी प्रोन्नति बोर्ड, सशक्त कार्यकारी समिति या जिला स्तरीय समाशोधन समिति, जैसी भी स्थिति हो, का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसी समय सीमा, जो विहित की जाएं, के भीतर समाशोधन जारी करेंगे, जिसमें असफल रहने पर ऐसे समाशोधन जारी किए गए समझे जायेंगे ।

(2) उद्यमी कार्य निष्पादन या समझे गये समाशोधन के अनुसरण में अन्य कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा, ताकि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन ना किया जा सके ।

12. उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) के अधीन राज्य में औद्योगिक प्रोन्नति से सम्बंधित औद्योगिक सेवाएं अधिसूचित कर सकता है । अधिसूचित सेवाएं ।
13. राज्य सरकार उद्यमियों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत प्रतितोष मैकेनिज्म सृजित करेगी । शिकायत प्रतितोष मैकेनिज्म ।
14. (1) सशक्त कार्यकारी समिति के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति समिति के निर्णय की संसूचना की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर हरियाणा उद्यमी प्रोन्नति बोर्ड को, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अपील कर सकता है । अपीली प्राधिकरण ।
- (2) जिला स्तरीय समाशोधन समिति के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति समिति के निर्णय की संसूचना की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर सशक्त कार्यकारी समिति को, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अपील कर सकता है ।
- (3) अपीली प्राधिकरण ऐसी प्रक्रिया, जो विहित की जाए, अपनाने के बाद, इसकी प्राप्ति की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर अपील का निपटान करेगा ।
15. कोई उद्यमी जो वचनबद्धता की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो प्रथम बार अनुपालना के लिए ऐसे जुर्माना जो पचास हजार रुपए होगा के भुगतान के लिए दोषी होगा तथा पश्चात्तवर्ती अननुपालना के लिए ऐसे जुर्माने के लिए दायी होगा जो एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है । शास्तियाँ ।
16. इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंध किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात से असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे । अधिनियम पर अन्य विधियों का अध्यारोही होना ।
17. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है । नियम बनाने के शक्ति ।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाये जाने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष रखा जाएगा, जब वह सत्र में हो ।
18. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में हरियाणा उद्यमी प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष, सशक्त कार्यकारी समिति, जिला स्तरीय समाशोधन समिति या बोर्ड या समितियों के अन्य सदस्यों या ऐसे बोर्ड या समितियों के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेंगी । सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।
19. इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, ऐसी कठिनाई दूर कर सकती है । कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।
20. (1) हरियाणा औद्योगिक प्रोन्नति अधिनियम, 2005(2006 का 6), इसके द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन तथा व्यावृत्ति ।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

**उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण**

हरियाणा उद्यम प्रोन्नति विधेयक, 2016 ऑनलाईन प्लेटफार्म उपलब्ध करवाते हुए, एक छत के नीचे उद्यमों को स्थापित करने के लिए एकल बिन्दु, समयबद्ध समाशोधन उपलब्ध करवाते हुए हरियाणा राज्य में परियोजनाओं के फास्ट ट्रैक लागूकरण हेतु उद्यमों के प्रतिष्ठान को सुकर बनाने के लिए विनियामक फ्रेमवर्क के सरलीकरण के लिए उपबंध करेगा । यह औद्योगिक विकास और नए निवेश की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए कारोबार करना आसान सुनिश्चित करेगा और हरियाणा राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा ।

चूंकि, उद्यमी अपने उद्यमों की स्थापना के लिए कारोबार करना आसान तथा व्यापार करने की लागत को महत्व देते हैं, यह विधेयक मौजूदा उद्यम जो विस्तार करना चाहते हैं उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएगा, नए निवेश को सुविधा देगा तथा एक समयबद्ध रीति में समाशोधन प्राप्त करने हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा। इसके अलावा, उद्यम संवर्धन नीति, 2015 और इस अधिनियम के अधीन हरियाणा राज्य में कारोबार करने के लिए लागत प्रभावी वातावरण बनाने के लिए उद्यमों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा ।

इसलिए विधेयक ।

कैप्टन अभिमन्यु,  
उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री,  
हरियाणा ।

चण्डीगढ़ :  
दिनांक 21 मार्च, 2016.

आर० के० नांदल,  
सचिव ।

**प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन**

प्रस्तावित विधेयक की धारा 17 अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित के लिये नियम बनाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करती है। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है। अतः प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी यह ज्ञापन हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 126 के अधीन यथा अपेक्षित संलग्न है।